न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0)/जे0एम0 बस्ती।

उपस्थितः नेहा रूँगटा (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

अपराधिक वाद सं0–01/17

राज्य प्रति दिनेश कुमार पाण्डेय

अ0सं0–208/97

धारा–279, 304ए, 427 भा0दं0सं0

थाना–कलवारी, जनपद–बस्ती।

निर्णय

थाना कलवारी, जनपद बस्ती की पुलिस द्वारा अभियुक्त दिनेश कुमार पाण्डेय के विरूद्ध अ0सं0–208/97 अन्तर्गत धारा–279, 304ए, 427 भा0दं0सं0 में विचारण हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा का भाई रामप्रकाश गुप्ता उर्फ कृष्णा साकिन कुसौरा थाना कलवारी जिला बस्ती में मकान बनाकर रहता था। दिनांक 12.11.97 को अपने स्कूटर बेस्पा यू0पी0 51 ए. 7384 से बस्ती से कुसौरा वापस घर आ रहे थे कि करीब 8.30 बजे रात्रि ग्राम बेलई के हद में नूर मोहम्मद के मकान के पास कलवारी के तरफ से जीप नं0 यू0पी0के0 2147 का चालक तेज व लापरवाही से दाहिने तरफ आकर स्कूटर में जोर से टक्कर मारते हुये स्कूटर पर सवार रामप्रकाश उर्फ कृष्णा सहित घसीटते हुये जीप कुछ दूर जाकर रूकवाई और स्कूटर झोपड़ी के पास जाकर गिर पड़ी और राम प्रकाश उर्फ कृष्णा जीप उपरोक्त से घायल होकर सड़क की पटरी पर बेहोश होकर गिर पड़े और तुरन्त उनकी मृत्यु हो गयी। जीप वाला जीप छोड़कर भाग गया। इस घटना को पवन कुमार एवं शिवकुमार व तमाम लोगों ने देखा और वादी मुकदमा को बताया तब वादी मुकदमा वहां जाकर देखा कि स्कूटर काफी क्षतिग्रस्त हो गयी है और उसके भाई रामप्रकाश उर्फ कृष्णा की मृत्यु हो गयी थी।

अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचक रामअवध सिंह को विवेचना सुपुर्द की गयी जिन्होनें दौरान विवेचना साक्षियों के बयान अंकित किये। घटनास्थल का निरीक्षण कर संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दिनेश कुमार पाण्डेय के विरूद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 279, 304ए, 427 भा0दं0सं0 न्यायालय में प्रेषित किया।

अभियुक्त को आहुत किया गया। अभियुक्त दिनेश कुमार पाण्डेय न्यायालय उपस्थित होकर अपनी जमानत करायी। अभियुक्त को धारा 279, 304ए, 427 भा0दं0सं0 के अभियोग का सारांश पढ़कर सुनाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया एवं विचारण किये जाने की मांग की।

अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच साक्षीगण परीक्षित कराये गये, जिनमें पी0डब्लू–1 ओम प्रकाश, पी0डब्लू–2 मंगरू, पी0डब्लू0–3 राजकुमार, पी0डब्लू0–4 पवन कुमार एवं पी0डब्लू0–5 उमाशंकर को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य तहरीर प्रदर्श क–1 को साक्षी पी0डब्लू0– 1 ओम प्रकाश तथा साक्षी पी0डब्लू0–3 राजकुमार द्वारा तथा पंचनामा प्रदर्श क–2 को साक्षी पी0डब्लू0–1 ओम प्रकाश, पी0डब्लू0–2 मंगरू, पी0डब्लू0–3 राजकुमार तथा पी0डब्लू0–5 उमाशंकर द्वारा साबित किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा पुलिस प्रपत्रों की मौलिकता स्वीकार कर लेने के कारण अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्त दिनेश कुमार पाण्डेय का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया और मुकदमा रंजिशन चलना बताया। अभियुक्त ने अपने बचाव में सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

मैनें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा योग्य सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों का गहराई से अध्ययन किया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनॉक 12.11.97 को समय 8.30 बजे रात्रि, स्थान ग्राम बेइली, थाना कलवारी, जिला बस्ती में अभियुक्त द्वारा जीप नं0 यू0पी0 के 2147 को लापरवाही पूर्वक एवं तेज गति से चलाते हुए वादी मुकदमा ओमप्रकाश के भाई रामप्रकाश के स्कूटर में टक्कर मार दिया गया जिससे उसे चोटें आयी और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। साक्षियों के बयान से अभियोजन कथानक को पूर्ण समर्थन मिलता है। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को फर्जी फंसाया गया है। अभियोजन साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। साक्षी पी0डब्लू0–2 तथा पी0डब्लू0–3 पक्षद्रोही हो गये हैं। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए जो साक्षीगण परीक्षित कराये गये है उनके द्वारा दी गयी साक्ष्य निम्नलिखित हैः–

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 ओम प्रकाश ने सशपथ कथन

किया है कि, ''घटना वर्ष 1997 की है। मेरा भाई राम प्रकाश गुप्ता उर्फ कृष्णा अपने स्कूटर बेस्पा यू0पी0 51ए 7384 से बस्ती से कुसौरा वापस अपने घर आ रहे थे करीब साढ़े आठ बजे रात्रि को ग्राम बेलई के नूर मुहम्मद के मकान के पास पहुंचे थे कि कलवारी के तरफ से जीप नं0 यू0पी0के 2147 जिसे उसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाकर दाहिने तरफ आकर मेरे भाई के स्कूटर में जोर से टक्कर मारा और घसीटते हुये कुछ दूर ले गया। वहीं मेरे भाई की चोट से मृत्यु हो गयी। ड्राइवर जीप छोड़कर के भाग गया। घटना को पवन कुमार, शिवकुमार आदि कई अन्य लोगों ने घटना को देखा था। मौके पर जब मैं पहुंचा तो लाश पड़ी थी। जीप उपरोक्त वहां पर खड़ी थी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र मैंने थाने पर दिया था जिसके आधार पर रिपोर्ट लिखी गयी थी। रिपोर्ट मैंने उसी दिन लिखवायी थी। प्रार्थना पत्र मैंने राम कुमार सोनी से बोलकर लिखाया था। उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया था तब मैंने हस्ताक्षर बनाया था। उस पर मेरा हस्ताक्षर है। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। लाश का पंचनामा जो कि शामिल पत्रावली है उस पर मेरा हस्ताक्षर है उस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।''

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''मैंने घटना नहीं देखी था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। केवल दस्तखत बनाता हूं। पवन कुमार, शिवकुमार और मैं एक साथ मौके पर गये थे। रात में साढ़े नौ बजे मुझे सूचना मिला तब मै मौके पर गया। .....जाड़े का महीना था। दसवा महीना था। बिजली नहीं आ रहा था। राम कुमार सोनी मेरे घर के पास वाल्टरगंज के हैं वह भी मेरे साथ मौके पर आए थे। थाने से कागज लेकर वही रिपोर्ट लिखाया था।''

साक्षी पी0डब्लू0 2 मंगरू ने अपने बयान में यह कथन किया है कि, ''मैं सुना था देखा नहीं था। मेरा लड़का राम प्रकाश स्कूटर से जा रहे थे। जीप की ठोकर से दुर्घटना से मृत्यु हो गयी थी। लाश का पोस्टमार्टम हुआ था, लाश का पोस्टमार्टम मेरे सामने हुआ था। पंचनामा पर मेरे हस्ताक्षर बने है। मेरे आलावा राजकुमार, शिवप्रसाद, ओमप्रकाश ने भी हस्ताक्षर बनाया था। पंचायतनामा शामिल पत्रावली है। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है।''

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''मैंने घटना नहीं देखा। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिखा था। सुबह मुझे जानकारी हुई।''

साक्षी पी0डब्लू0 3 राजकुमार ने अपने बयान में कथन किया है कि, ''घटना 1997 की है। राम प्रकाश उर्फ कृष्णा की मृत्यु जीप से टक्कर

लगने से हो गयी थी। तहरीर मैंने ओमप्रकाश गुप्ता के बताने के अनुसार लिखा था। ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र मंगरू सा0 वाल्टरगंज थाना वाल्टरगंज के अनुसार तहरीर लिखी गयी थी। जो शामिल पत्रावली है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हुये है। प्रदर्श क–1 डाला जा चुका है। लाश का पंचनामा मेरे सामने हुआ था। पंचनामा शामिल पत्रावली है जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने है। प्रदर्श क–2 डाला जा चुका है। पुलिस वालों ने मुझसे बाद में बयान लिया था। मैं जो जानता था वही बताया था।''

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि, ''मैंने कोई घटना नहीं देखी थी। जब मैं दूसरे दिन पहुंचा तो मौके पर पहुंचा तो लाश सील हो चुका था। दरोगा जी ने एक सादे कागज पर मेरा दस्तखत कराया था। मैंने जिस कागज पर दस्तखत किया था वह सादा था। मुझे याद नहीं है कि दरोगा जी ने मेरा बयान सामने लिखा था या बाद में। जिस गाड़ी से एक्सीडेन्ट हुआ था वह मैंने नहीं देखा था।''

साक्षी पी0डब्लू0 4 पवन कुमार ने अपने बयान में यह कथन किया है कि, ''घटना दिनांक 12.11.97 समय 8.30 रात की है। मैं एक्सड़ा बाजार से कुशौरा बाजार साइकिल से शिवकुमार के साथ जा रहे थे। नूर मोहम्मद की कोठी के सामने सड़क पर पहंचे थे तभी मेरे पीछे पीछे स्कूटर पर आ रहे राम प्रकाश गुप्ता को कुशौरा बाजार की तरफ से जीप नं0 यू0पी0के0 2147 का ड्राईवर जो जीप का लेकर कुशौरा की तरफ से आ रहा था। जीप का चालक जीप को अजीब तरीके से तेजी से व लापरवाही से चलाते हुये हम लोगों की तरफ जीप बढ़ाया तो हम लोग किनारे हो गये उसके बाद ड्राइबर जीप को लारवाही से चलाता हुआ गलत साइड से आकर राम प्रकाश के स्कूटर में धक्का मार कर घसीटता हुआ दाहिने साइड में लेकर चला गया। जीप के धक्का लगने व घसीटने से राम प्रकाश की मृत्यु मौके पर हो गयी थी और उनका स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। जीप चालक जीप को छोड़कर भाग गया। भीड़ के लोग, मैं व शिवकुमार जो मेरे साथ थे घटना को देखा फिर मैं घटनास्थल पर शिवकुमार को रोककर राम प्रकाश के घर बताने चला गया। उसके बाद राम प्रकाश के घर वाले और मैं पुनः मौके पर पहुंचे। मेरे बताने पर राम प्रकाश गुप्ता के भाई ओम प्रकाश गुप्ता पुनः घटना स्थल पर मेरे पहुंचने पर मेरे साथ थे अंधेरा होने के कारण भागते हुये ड्राइवर को मैं पहचान नहीं पाया। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।''

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि, ''मैंने

इस घटना की सूचना थाने पर नहीं दी थी। मैंने इस घटना की सूचना बोलकर नहीं लिखायी थी। इस घटना की सूचना घटना की रात में ही लिखायी गयी। मेरा बयान दरोगा जी ने घटना के तीसरे दिन लिया था। मेरे निवास से कुसौरा 19 कि0मी0 है। घटना स्थल से मैं 3–4 सौ मी0 की दूरी पर था। मैं 5 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचा। तब मैंने देखा कि दुर्घटना हो चुकी थी। मैंने घटना की सूचना नहीं लिखायी जबकि मैं मृतक के बगल रहता था इसकी वजह नहीं बता सकता। वादी ओम प्रकाश वाल्टरगंज से घटना स्थल पर आये और एफ0आई0आर0 लिखायी। रेलवे स्टेशन से वाल्टरगंज 6 कि0मी0 है। ओम प्रकाश पढे लिखे है। ओम प्रकाश ने स्वयं एफ0आई0आर0 नहीं लिखा था। जब ओम प्रकाश आये तो हम लोग मौके पर आये। पुलिस वालों के मौके पर आने के बाद एफ0आई0आर0 लिखी गयी। मृतक के घर वालों ने कोई सूचना थाने पर नहीं लिखायी। मृतक मेरे मामा थे।''

साक्षी पी0डब्लू0 5 उमाशंकर ने अपने बयान में यह कथन किया है कि, ''यह घटना सन् 1997 की है। घटना 8.30 बजे रात का समय था। मैं कुशौरा के तरफ से बस्ती अपने घर आ रहे थे। यह घटना ग्राम बेइली के पास घटी थी। नुर मोहम्मद के मड़ई के पास घटना घटी थी। बस्ती के तरफ से राम प्रकाश स्कूटर से कुशौरा की तरफ जा रहे थे। स्कूटर का नं0 याद नहीं है जीप का नं0 यू.जी.एन. 2147 था उसका ड्राइवर कलवारी से बस्ती की तरफ आ रहा था। जीप चालक ने स्कूटर में सामने से भिड़ा दिया। रामप्रकाश अपनी साइड से चल रहा था। रामप्रकाश गिर पड़े स्कूटर को घसीटता हुआ जीप से 15–20 मीटर की दूरी पर ले गया। उसी जीप की चोट आने से राम प्रकाश तुरन्त मर गये थे। उनकी स्कूटर डैमेज हो गयी थी। ड्राइवर जीप को छोड़कर भाग गया। मैं राम प्रकाश को पहचानता था। मैंने उनके घर सूचना दिया। राम प्रकाश के भाई ओम प्रकाश आये और उन्होंने एफ0आई0आर0 करवाया। राम प्रकाश के लाश का पंचनामा मेरे सामने हुआ था। मैंने उस पर अपना हस्ताक्षर बनाया था।''

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि, ''एफ0आई0आर0 ओम प्रकाश ने लिखाया था। एफ0आई0आर0 किसने लिखा था। मैं नहीं जानता। एफ0आई0आर0 थाने पर लिखी गयी थी। थाने में लिखने के बाद एफ0आई0आर0 किसको दी गयी मुझे नहीं मालूम है। मैं थाने पर पूंछताछ के लिये बुलाये थे तब गया था। घटना के कितने दिन बाद मुझे बुलाये थे, मेरा बयान दरोगा जी ने थाने पर लिया था, मेरे साथ थाने पर

कितने लोग बयान देने गये थे मुझे नहीं मालूम है। मौके पर दरोगा जी 20–25 मिनट बाद आये थे।.....दुर्घटना के समय मैं 20 मीटर की दूरी पर था। जब मैं दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो सामने से देखा की दुर्घटना हो गयी। मैं जीप के पीछे था। जीप के दाहिने तरफ लड़ा होगा। मैं उस समय अकेला था। मैं घटना स्थल पर लगभग एक घंटा से उपर रूका था उसके बाद घर चले गये।....मरने वाले मेरे परिचित थे मेरे रिस्तेदार नहीं थे।''

अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन को यह साबित करना है कि दिनांक 12.11.97 को समय 8.30 बजे रात्रि, स्थान ग्राम बेइली, थाना कलवारी, जिला बस्ती में अभियुक्त ने जीप नं0 यू0पी0 के 2147 को लापरवाही पूर्वक एवं तेज गति से चलाते हुए वादी मुकदमा ओमप्रकाश के भाई रामप्रकाश के स्कूटर में टक्कर मार दिया जिससे उसे चोटें आयी और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी।

अभियुक्त दिनेश कुमार पाण्डेय के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 304ए, 427 का आरोप है।

अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0 1 ओम प्रकाश ने सशपथ कथन किया है कि, ''घटना वर्ष 1997 की है। उसका भाई राम प्रकाश गुप्ता उर्फ कृष्णा अपने स्कूटर बेस्पा यू0पी0 51ए 7384 से बस्ती से कुसौरा वापस अपने घर आ रहे थे करीब साढ़े आठ बजे रात्रि को ग्राम बेलई के नूर मुहम्मद के मकान के पास पहुंचे थे कि कलवारी के तरफ से जीप नं0 यू0पी0के 2147 जिसे उसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाकर दाहिने तरफ आकर उसके भाई के स्कूटर में जोर से टक्कर मारा और घसीटते हुये कुछ दूर ले गया। वहीं उसके भाई की चोट से मृत्यु हो गयी। ड्राइवर जीप छोड़कर के भाग गया। घटना को पवन कुमार, शिवकुमार आदि कई अन्य लोगों ने घटना को देखा था। मौके पर जब वह पहुंचा तो लाश पड़ी थी। जीप उपरोक्त वहां पर खड़ी थी।'' परन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''उसने घटना नहीं देखी था।''

साक्षी पी0डब्लू0 2 मंगरू ने अपने बयान में यह कथन किया है कि, ''वह सुना था देखा नहीं था। उसका लड़का राम प्रकाश स्कूटर से जा रहे थे। जीप की ठोकर से दुर्घटना से मृत्यु हो गयी थी। लाश का पोस्टमार्टम हुआ था, लाश का पोस्टमार्टम उसके सामने हुआ था।'' इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि, ''उसने घटना नहीं देखा।''

साक्षी पी0डब्लू0 3 राजकुमार ने अपने बयान में कथन किया है कि, ''घटना 1997 की है। राम प्रकाश उर्फ कृष्णा की मृत्यु जीप से टक्कर लगने से हो गयी थी।'' इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि, ''उसने कोई घटना नहीं देखी थी।''

साक्षी पी0डब्लू0 4 पवन कुमार ने अपने बयान में यह कथन किया है कि, ''घटना दिनांक 12.11.97 समय 8.30 रात की है। वह एक्सड़ा बाजार से कुशौरा बाजार साइकिल से शिवकुमार के साथ जा रहे थे। नूर मोहम्मद की कोठी के सामने सड़क पर पहंचे थे तभी उसके पीछे पीछे स्कूटर पर आ रहे राम प्रकाश गुप्ता को कुशौरा बाजार की तरफ से जीप नं0 यू0पी0के0 2147 का ड्राईवर जो जीप को लेकर कुशौरा की तरफ से आ रहा था। जीप का चालक जीप को अजीब तरीके से तेजी से व लापरवाही से चलाते हुये उन लोगों की तरफ जीप बढ़ाया तो वे लोग किनारे हो गये उसके बाद ड्राइवर जीप को लारवाही से चलाता हुआ गलत साइड से आकर राम प्रकाश के स्कूटर में धक्का मार कर घसीटता हुआ दाहिने साइड में लेकर चला गया। जीप के धक्का लगने व घसीटने से राम प्रकाश की मृत्यु मौके पर हो गयी थी और उनका स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। जीप चालक जीप को छोड़कर भाग गया। भीड़ के लोग, वे व शिवकुमार जो उसके साथ थे घटना को देखा।'' परन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि, ''उसने इस घटना की सूचना थाने पर नहीं दी थी।.....घटना स्थल से वह 3–4 सौ मी0 की दूरी पर था। वह 5 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचा। तब उसने देखा कि दुर्घटना हो चुकी थी।.....जब ओम प्रकाश आये तो वे लोग मौके पर आये।''

साक्षी पी0डब्लू0 5 उमाशंकर ने अपने बयान में यह कथन किया है कि, ''यह घटना सन् 1997 की है। घटना 8.30 बजे रात का समय था। वे कुशौरा के तरफ से बस्ती अपने घर आ रहे थे। यह घटना ग्राम बेइली के पास घटी थी। नुर मोहम्मद के मड़ई के पास घटना घटी थी। बस्ती के तरफ से राम प्रकाश स्कूटर से कुशौरा की तरफ जा रहे थे। स्कूटर का नं0 याद नहीं है जीप का नं0 यू जी एन 2147 था उसका ड्राइवर कलवारी से बस्ती की तरफ आ रहा था। जीप चालक ने स्कूटर में सामने से भिड़ा दिया। रामप्रकाश अपनी साइड से चल रहा था। रामप्रकाश गिर पड़े स्कूटर को घसीटता हुआ जीप से 15–20 मीटर की दूरी पर ले गया। उसी जीप की चोट आने से राम प्रकाश तुरन्त मर गये थे। उनकी स्कूटर डैमेज हो गयी थी। ड्राइवर जीप को छोड़कर भाग गया। वह राम प्रकाश को पहचानता था।''

इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि, ''दुर्घटना के समय वह 20 मीटर की दूरी पर था। जब वह दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो सामने से देखा की दुर्घटना हो गयी। वह जीप के पीछे था।''

इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–1 ओम प्रकाश, साक्षी पी0डब्लू0–2 मंगरू, साक्षी पी0डब्लू0–3 राजकुमार द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि उन लोगों ने घटना नहीं देखी। साक्षी पी0डब्लू0–4 द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि घटना स्थल से वह 3–4 सौ मी0 की दूरी पर था। वह 5 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचा। तब उसने देखा कि दुर्घटना हो चुकी थी। साक्षी पी0डब्लू0–5 उमाशंकर द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि दुर्घटना के समय वह 20 मीटर की दूरी पर था। जब वह दुर्घटना स्थल पर पहुंचा तो सामने से देखा की दुर्घटना हो गयी। साक्षी पी0डब्लू0–5 उमाशंकर द्वारा जीप का नं0 यू0जी0एन0 2147 बताया गया है जबकि एफ0आई0आर0 में जीप का नं0 यू0पी0के0 2147 है। जीप का ड्राइवर अभियुक्त दिनेश कुमार पाण्डेय ही था, इस संबंध में भी किसी साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से कथन नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन को यह साबित करना है अभियुक्त द्वारा जीप उतावलेपन से तथा उपेक्षा पूर्वक चलायी जा रही थी। इस संबंध में भी अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्त द्वारा जीप उतावलेपन से तथा उपेक्षा पूर्वक चलायी जा रही थी।

तहरीर में वादी मुकदमा द्वारा शिवकुमार तथा पवन कुमार को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है परन्तु शिवकुमार की मृत्यु हो चुकी है तथा पवन कुमार ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि घटना स्थल से वह 3–4 सौ मी0 की दूरी पर था। वह 5 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंचा। तब उसने देखा कि दुर्घटना हो चुकी थी।

उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन यह स्थापित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त दिनेश कुमार पाण्डेय ने दिनांक 12.11.97 को समय 8.30 बजे रात्रि, स्थान ग्राम बेइली, थाना कलवारी, जिला बस्ती में जीप नं0 यू0पी0 के 2147 को लापरवाही पूर्वक एवं तेज गति से चलाते हुए वादी मुकदमा ओमप्रकाश के भाई रामप्रकाश के स्कूटर में टक्कर मार दिया जिससे उसे चोटें आयी और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। अभियोजन साक्षियों के बयान से घटना का समर्थन नहीं होता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन अभियुक्त दिनेश कुमार पाण्डेय पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा– 279, 304ए, 427 भा0दं0सं0 को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित कर पाने में विफल रहा है। अभियुक्त दिनेश कुमार पाण्डेय संदेह का लाभ पाते हुए लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–279, 304ए, 427 भा0दं0सं0 दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त दिनेश कुमार पाण्डेय को दाण्डिक वाद संख्या–01/17 अन्तर्गत धारा–279, 304ए, 427 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है उसका व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किया जाता है एवं उसके प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक–08.06.2017

(नेहा रूँगटा)
सिविल जज,(जू0डि0)/जे0एम0
बस्ती।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित करके सुनाया गया ।

दिनांक–08.06.2017

(नेहा रूँगटा)
सिविल जज,(जू0डि0)/जे0एम0
बस्ती।